न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 45/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
वेनाराम पुत्र लिकमा कौम बावरी निवासी जेतपुर तहसील रोहट जिला पाली		1. भीमाराम गोदीपुत्र गणेश जाति बावरी निवासी जेतपुर तहसील रोहट 2. तहसीलदार रोहट जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री प्यारे खान, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–11.06.2019

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम जेतपुर के नामान्तरकरण संख्या 2293 पर तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृति आदेश दिनांक 22.12..2015 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किये गये। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता हैं।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम जेतपुर के खसरा नम्बर 869/8 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी सोयम की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी कब्जा काश्तसुदा आराजी हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलावट करते हुए जैर अपील विवादित आराजी का फर्जी एवं कूटरचित बेचाननामा दिनांक 28.03..1985 को तैयार करवाकर उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता गणेशराम की मृत्यु हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उसका गोदीपुत्र हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या जैर अपील विवादित आराजी का बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, जिसका चालान दिनांक 14.03.2018 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका हैं, जो विचाराधीन है। पुलिस अनुसंधान में भी उक्त बेचानामा को फर्जी एवं कूटरचित माना हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किए एवं बिना मौका निरीक्षण किए, विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत किया हैं। जैर अपील विवादित

जिला कलेक्टर, पाली

आराजी पर अपीलाण्ट काबिज काश्त हैं। अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रेकर्ड की प्रतियां प्राप्त करने पर जैर अपील नामान्तरकरण का ज्ञान हुआ। इस कारण हस्तगत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा जैर अपील आराजी को बेचाण करने की बात अन्य लोगों से की, जिसे अपीलाण्ट ने सुना तो जांच करने पर उसे उपरोक्त हस्तान्तरण का ध्यान हुआ, तब अपीलाण्ट द्वारा नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। जो जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावें तथा अपीलाण्ट के हक अधिकारों का भी प्रश्न होने के कारण अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाकर जैर अपील नामान्तरकरण को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उक्त नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 05/2015 भीमाराम बनाम गुणेशराम में पारित निर्णय दिनांक 30..09..2015 एवं अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 16.04.2000 तथा तहसीलदार रोहट के आदेश क्रमांक/राजस्व/कोर्ट/15/884 दिनांक 27.10.2015 की पालना में दायर किया जाकर दिनांक 22.12.2015 को स्वीकृत किया गया हैं। नामान्तरकरण में अंकित प्रविष्ठियों का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि जैर अपील नामान्तरकरण दायर होने से पूर्व उक्त आराजी गणेश पुत्र लिकमा कौम बावरी की खातेदारी भूमि थी, जिसे तहसीलदार रोहट द्वारा बाद सुनवाई उपरोक्त प्रकरण में आदेश जारी करने पर उसकी पालना में जो तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसकी बाद सुनवाई पत्रावली संख्या 5/2015 बअनवान भीमाराम बनाम गुणेशराम कायम कर निर्णय दिनांक 30.09.2015 को पारित किया गया है, पत्रावली कायम कर बाद सुनवाई के तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण बाबत अपील की सुनवाई का प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) में प्रावधित है तथा इस प्रकार के आदेशों के विरूद्ध अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होकर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय को हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपील के सन्दर्भ में जिस पंजीकृत दस्तावेज का जिक्र किया है, उसके संदर्भ में माननीय न्यायालय सी.जे.एम. कोर्ट पाली में दर्ज प्रकरण संख्या 650/2018 जो एफ.आई.आर. नम्बर 278 दिनांक 26.11.2014 के संबंध में है। उसका अन्तिम निर्णय किया जाकर दोष सिद्ध नहीं हो जाता एवं इस आधार पर संबंधित पंजीकृत दस्तावेज को सक्षम न्यायालय में खारिज नहीं करवा दिया जाता, तब तक नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर यह नामान्तरकरण निरस्त भी किया जाता है, तो नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 7 के अनुसार राजस्व रेकर्ड की प्रविष्ठियां बदस्तूर रहेगी, जिसके अनुसार उक्त आराजी गणेश पुत्र लिकमा कौम बावरी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहती है तथा पंजीकृत दस्तावेज को जब तक ट्रायल न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जाता अथवा शुन्य घोषित नहीं किया जाता, तब तक इस

जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तरकरण को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। जबकि जैर अपील नामान्तरकरण में पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर भरा जाने बाबत कहीं उल्लेख ही नहीं है। ऐसी स्थिति में मातहत अदालत द्वारा पंजीकृत दस्तावेज बाबत विचार किया अथवा नहीं, किस आधार पर आदेश जारी किया गया, इसकी विवेचना इस न्यायालय द्वारा नहीं की जाकर माननीय संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा किया जाना प्रावधित होने के कारण अपीलाण्ट उक्त न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार रोहट द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2293 स्वीकृत दिनांक 22.12.2015 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार रोहट को निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण संख्या 2293 लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली